



संसद प्रश्न: भीषण गर्मी के कारण जान-माल की हानि और स्वास्थ्य संकट

प्रविष्टि तिथि: 20 AUG 2025 4:35PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय (एमएचए) से उपलब्ध, 2018-2022 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार हीट/सन स्ट्रोक के कारण हुई मौतों का नवीनतम डेटा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

असामान्य तापमान की घटनाएँ मानव शरीर पर गंभीर शारीरिक तनाव डाल सकती हैं, क्योंकि शरीर सामान्य तापमान सीमा में ही सबसे बेहतर ढंग से कार्य करता है। मानव मृत्यु दर और तापीय तनाव के बीच एक स्पष्ट संबंध है। असामान्य रूप से गर्म घटनाओं के दौरान, विभिन्न कारणों से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, और बुजुर्गों को अन्य लोगों की तुलना में अधिक जोखिम होता है।

अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से होने वाले चार सामान्य स्वास्थ्य प्रभावों में निर्जलीकरण, ऐंठन, थकावट और हीटस्ट्रोक शामिल हैं। यह भी पता चला है कि उच्च तापमान के कारण भोजन के खराब होने और उसके शेल्व जीवन में कमी के कारण तीव्र आंत्रशोथ और खाद्य विषाक्तता के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। अत्यधिक तापमान वृद्धि से जुड़ी चिंता, घबराहट, घबराहट और व्यवहार परिवर्तन के मामलों में भी वृद्धि हुई है। अधिकांश पीड़ितों का व्यावसायिक प्रोफ़ाइल कृषि मज़दूर, तटीय समुदाय के निवासी और गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे, जिनका अधिकांश व्यवसाय बाहरी था।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के माध्यम से सहायता हेतु संसाधन उपलब्ध हैं। यदि राज्यों की ओर से वित्तीय सहायता का अनुरोध प्राप्त होता है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर विचार करती है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)/राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में 12 आपदाएँ शामिल हैं, अर्थात् चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमले और शीत दंश एवं शीत लहर। 15वें वित्त आयोग ने आपदाओं की मौजूदा अधिसूचित सूची में और अधिक आपदाओं को शामिल करने के मुद्दे पर विचार किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8.143 में पाया था कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन कोष (एसडीआरएमएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया शमन कोष (एनडीआरएमएफ) से वित्त पोषण के लिए पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची काफी हद तक राज्य की जरूरतों को पूरा करती है और इसलिए इसका दायरा बढ़ाने के अनुरोध में ज्यादा योग्यता नहीं पाई।

तथापि, राज्य सरकार, कुछ निर्धारित शर्तों और मानदंडों की पूर्ति के अधीन, एसडीआरएफ के वार्षिक निधि आवंटन के 10% तक का उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती है, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं की केंद्रीय अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) पूरे देश में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को समान रूप से क्रियान्वित करता है; इसलिए, धन का आवंटन राज्यवार नहीं होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से राज्य सरकारों को सीधे धनराशि जारी नहीं की जाती है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देश भर के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के साथ मिलकर निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की हैं। इन प्रयासों ने चरम मौसम की घटनाओं, जैसे कि लू के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें शामिल हैं:

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से, हीटवेव की स्थिति से प्रभावित 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान (एचएपी) को संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया गया है।
- मौसमी और मासिक पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं, जिसके बाद तापमान और लू की स्थिति का विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया जाता है। समय पर जनता तक पहुँचने के लिए प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान की जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी प्रसारित की जाती है।
- भारत में जिलावार हीटवेव संवेदनशीलता एटलस, राज्य सरकार के प्राधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को योजना बनाने में सहायता करेगा।
- भारत के गर्म मौसम के खतरे के विश्लेषण मानचित्र में तापमान, हवा के पैटर्न और आर्द्रता के स्तर पर दैनिक डेटा शामिल किया गया है।
- ग्रीष्म ऋतु के शुरू होने से काफी पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हीटवेव तैयारी बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है, तथा ऋतु के दौरान समय-समय पर नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

मौसम संबंधी जानकारी केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों सहित सभी हितधारकों को प्रदान की जाती है। एनडीएमए द्वारा विकसित कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) को भी आईएमडी द्वारा चेतावनियों और समय पर अलर्ट प्रसारित करने के लिए लागू किया जा रहा है।

आईएमडी ने तेरह सबसे खतरनाक मौसम संबंधी घटनाओं के लिए एक वेब-आधारित "भारत का जलवायु संकट और अतिसंवेदनशील एटलस" भी तैयार किया है, जिनसे व्यापक क्षति और आर्थिक, मानवीय और पशु हानि होती है। इसे https://imdpune.gov.in/hazardatlas/about_hazard.html पर देखा जा सकता है। यह एटलस राज्य सरकार के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को संवेदनशील शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित हॉटस्पॉट की पहचान करने और चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए योजना बनाने और उचित कार्रवाई करने में मदद करेगा। यह उत्पाद जलवायु परिवर्तन-रोधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सहायक है। इसके अलावा, भारतीय मौसम विभाग विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से जनता को मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करता है:

- मास मीडिया: रेडियो/टीवी, समाचार पत्र नेटवर्क (एएम, एफएम, सामुदायिक रेडियो, निजी टीवी), प्रसार भारती और निजी प्रसारणकर्ता
- साप्ताहिक और दैनिक मौसम वीडियो
- इंटरनेट (ईमेल), एफटीपी
- सार्वजनिक वेबसाइट (mausam.imd.gov.in)
- आईएमडी ऐप: मौसम/मेघदूत/दामिनी/रेन अलार्म
- सोशल मीडिया: फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, ब्लॉग

i. X: <https://twitter.com/Indiametdept>

ii. फेसबुक: <https://www.facebook.com/India.Meteorological.Department/>

iii. ब्लॉग: <https://imdweather1875.wordpress.com/>

iv. इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/mausam_nwfc

v. यूट्यूब: https://www.youtube.com/channel/UC_qxTReoq07UVARm87CuyQw

अनुबंध 1

2018-2022 के दौरान हीट/सन स्ट्रोक के कारण राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार मौतें:

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2018	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	97	128	50	22	47
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3	असम	0	3	0	0	1
4	बिहार	64	215	53	57	78
5	छत्तीसगढ	1	16	3	2	11
6	गोवा	0	0	0	0	0
7	गुजरात	31	27	12	8	5
8	हरयाणा	56	46	23	14	27
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	0
10	झारखंड	42	88	23	33	47
11	कर्नाटक	0	4	1	0	2
12	केरल	1	3	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	15	33	7	2	27
14	महाराष्ट्र	128	159	56	37	90
15	मणिपुर	0	0	0	0	0
16	मेघालय	4	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	40	84	13	15	38

20	पंजाब	38	90	110	91	130
21	राजस्थान	43	54	23	1	12
22	सिक्किम	0	1	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	0	0	2	2
24	तेलंगाना	107	156	98	43	62
25	त्रिपुरा	1	1	2	0	2
26	उत्तर प्रदेश	176	117	50	35	130
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	46	49	6	11	18
	कुल राज्य	890	1274	530	374	729
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31	डी एंड एन हवेली और दमन और दीव @ +	0	0	0	0	0
32	दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश	0	0	0	0	1
33	जम्मू और कश्मीर @ *	0	0	0	0	0
34	लद्दाख @	-	-	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल केंद्र शासित प्रदेश	0	0	0	0	1
	कुल (अखिल भारतीय)	890	1274	530	374	730

स्रोत: राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय (एमएचए) '+' 2018 और 2019 के दौरान पूर्ववर्ती दन एवं हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त डेटा; '*' 2018 और 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा; '@' नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश का डेटा।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी है।

पीके/केसी/एसजी

(रिलीज़ आईडी: 2158547)

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu